

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प० 12(3)राज/वाद/99,पार्ट-13(ग)

जयपुर, दिनांक ५/६/२०१७

:: आदेश ::

मा ननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सी.डब्लू नं०— 5109/2015 चैनसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 14.05.15 की पालना में महाधिवक्ता/अतिऽ महाधिवक्तागण जोधपुर के कार्यालय में संविदा पर कार्यरत निम्नलिखित 5 संविदा कार्मिकों को दिनांक 28.02.17 तक अथवा नियमित नियुक्त होने तक अथवा स्थगन हटने तक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय होने तक, जो भी पहले हो, तक रखे जाने की सहमति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त क्रम में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जोधपुर के कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित संविदा कार्मिकों को पूर्व की भौति दिनांक 01.03.17 से 28.02.18 तक अथवा नियमित नियुक्त होने तक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक रखे जाने की सहमति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम संविदा कर्मी	कार्य/सेवा का नाम	कार्यालय
1	श्री चैन सिंह	श्री० लिपिकीय कार्य	महाधिवक्ता, जोधपुर
2	श्री भवानी सिंह	बुक लिफ्टर	महाधिवक्ता, जोधपुर
3	श्री योगेन्द्र कुमार कनोजिया	क० लि	अतिऽ महाधिवक्ता, जोधपुर
4	श्री अमित कुमार दवे	क० लि०	अतिऽ महाधिवक्ता, जोधपुर
5	श्री नटवर दैया	बुक लिफ्टर	अतिऽ महाधिवक्ता, जोधपुर

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या—331700434 दिनांक 01.06.17 से प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

*—sd—*

(रीटा तेजपाल)  
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
3. शासन सचिव, विधि विभाग।
4. अतिऽ महाधिवक्ता, जोधपुर।
5. कोषाधिकारी, जोधपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, वादकरण।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधि कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

*J Ray*  
 (रीटा तेजपाल) २८-६-१७  
 विशिष्ट शासन सचिव, विधि